UPBN040279712022

न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

परिवाद संख्या –21194/2022

नेकराम बनाम हेमलता आदि

थाना–उघैती, जनपद बदायूँ।

<u>02.09.2024</u>

आज यह पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर परिवादी नेकराम अनुपस्थित, अधिवक्ता अनुपस्थित। परिवादी न तो स्वयं उपस्थित है न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।परिवादी दिनाँक–13.09.2023 से लगातार अनुपस्थित है। परिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया है किन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है परिवादी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० में दर्ज किये गये तथा परिवादी ने धारा–202 दं०प्र०सं० में साक्षी PW–1 नेमसिंह व PW–2 रीना देवी को न्यायालय में प्रस्तुत किया । परन्तु परिवादिनी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही परिवाद पर बल दिया गया। जिससे कि विपक्षीगण को तलब किया जा सके। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में विपक्षीगण को प्रथम दृष्टया तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उक्त परिस्थिति में प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा – 203 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कोमल श्रीवास्तवा)
प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

Digitally signed by KOMAL SRIVASTAVA
Date: 2024.09.01 14:45:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court